महत्वपूर्ण एवं खास

बाइक सवार खड़े ट्रक से टकराया, मौत

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम केसला में बाइक सवार युवक खड़ी ट्रक से जा टकराया। जिससे युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मूलचंद पटेल 30 वर्ष अंबागढ़ चौकी का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी ग्राम केसला के पास सडक़ किनारे खड़ी ट्रक क्रमांक जेएच 05 एवाय 6455 से जा टकराया। जिससे मूलचंद की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

निर्माणाधीन मकान से बिजली तार पार

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम बैहार में एक युवक ने निर्माणाधीन मकान से बिजली तार पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर आरंग पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी केअनुसार ग्राम लखौली निवासी प्रार्थी संतोष डहरिया 43 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि 29 दिसंबर से 5 जनवरी के मध्य संदेही आरोपी निखिल बंजारे ने उसके ग्राम बैहार स्थित निर्माणाधीन मकान से बिजली तार पार कर दिया। चोरी गए तार की कीमत करीब 25200 रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर आरंग पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

अफीम के साथ दो युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। खमतराई पुलिस ने अफीम के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो अफीम जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला था कि रिंग रोड नंबर 2 भनपुरी के पास दो युवक मादक पदार्थ रखे हुए है। सूचना पर मौके में पहुंचीर पुलिस ने आरोपी लखविंदर सिंह पिंटू 41 वर्ष व बिट्टू सिंह मसीह 45 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो अफीम जब्त किया है। जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

गांजा के साथ युवक पकड़ाया

रायपुर (आरएनएस)। तेलीबांधा पुलिस ने गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 150 ग्राम गांजा जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सुभाष नगर तेलीबांधा के पास एक युवक गांजा रखा हुआ है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपी विक्की देशमुख 19 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 150 ग्राम गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 11500 रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

लाखों रुपए का सरिया लेकर ट्रक चालक फरार

रायपुर (आरएनएस)। मारूति फैरो कंपनी सिलतरा से लाखों रुपए का सरिया लोड कर ट्रक चालक फरार हो गया। प्रार्थी की शिकायत पर धरसींवा पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवानंद नगर खमतराई निवासी प्रार्थी नरेन्द्र मिश्रा 65 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी ट्रक क्रमांक एमपी 66 एच 0383 व यूपी 70 केटी 7244 के चालक ने दोनों ट्रकों में 1819788 रुपए एवं 2344888 रुपए का एम टी सरिया लोड कर रींवा स्थित एसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए रवाना हुआ था। जो आज तक अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाया। प्रार्थी ने चालकों से संपर्क करने का प्रयास किया। जब संपर्क नहीं हो पाया, तो प्रार्थी ने इसकी शिकायत धरसींवा थाना में की। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

धर्मांतरण मामले में अब तक 17 अरारोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नारायणपुर (आरएनएस)। जिले में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बाद इस मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर जारी है, इसी के तहत 01 जनवरी 2023 को थाना एडक़ा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम गोर्रा में दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ था। घटना में थाना एडक़ा में अपराध क्रमांक 2/2023 धारा 147, 148, 294, 323, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में पूर्व में 03 जनवरी 2023 को 03 आरोपियों क्रमश: 1. जयसिंह कावड़े निवासी खडग़ांव 2. रजलाल कावड़े साकिन खडक़ागांव 3. जैलू कोर्राम साकिन खडक़ागांव को गिरफ्तार किया गया था।

उक्त घटना के दौरान एडक़ा पुलिस मामले को शांत कराने गई तो उनके साथ हुए घटना पर थाना एडक़ा में अपराध क्रमांक 3/2023 धारा 147, 148, 332, 186, 353 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था, एवं 04 एवं 05 जनवरी 2023 को 03 आरोपियों क्रमश: 1. राजू राम दुग्गा निवसी बोरपाल 2. बजारु राम पोटाई निवासी तेरदूल एवं 3. रघु उर्फ रघुनाथ उर्फ रघुराम साहू निवासी आमासरा की पूर्व में गिरफ्तारी की गई थी, 02 जनवरी 2023 को नारायणपुर में पुलिस के साथ घटना घटित हुआ था उक्त घटनाक्रम में थाना

नारायणपुर में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। जिसमें पूर्व में 05 आरोपी क्रमश: 1. रुपसाय सलाम निवासी रेमावण्ड 2. पवन कुमार नाग निवासी बखरुपारा नारायणपुर 3. अतुल नेताम निवासी बंगलापारा नारायणपुर 4. अंकित नंदी निवासी बखरुपारा नारायणपुर 5. डोमेन्द्र यादव निवासी बखरुपारा को 03 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पतासाजी किया जा रहा था। इसी मामले में 06 जनवरी 2023 को नारायणपुर पुलिस के द्वारा घटना में शामिल 06 आरोपियों को पकड़ा गया है। जिनमें क्रमश: 1. निरंजन करंगा पिता मंगत राम रंगा उम्र 22 वर्ष साकिन बोरावंड थाना बेनुर 2. रमेश पोटाई पिता जगत राम पोटाई उम्र 35 साल साकिन भाटपाल थाना बेनुर जिला कोण्डागांव 3. सुकमन नेताम पिता सुरजु राम नेताम उम्र 22 साल साकिन पुटान चांदागांव थाना बेनुर जिला कोण्डागांव 4.लहरू राम नेताम पिता हीरटू राम नेताम उम्र 33 साल साकिन पलना थाना बेनुर जिला कोण्डागांव 5. मंगउ राम कावड़े पिता स्व. रामसिंह कावड़े उम्र 32 साल साकिन इरको थाना एडक़ा जिला नारायणपुर 6. राजु राम दुग्गा पिता स्व. चैतुराम उम्र 32 साल साकिन एडक़ा थाना एडक़ा जिला नारायणपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है।

अज्ञात नकाबपोश हत्यारों ने कर दी बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या

कांकेर (आरएनएस)। जिले के ग्राम घोटिया में अज्ञात नकाबपोश हत्यारों ने बुजुर्ग को घर से बाहर निकालकर मारपीट की फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, उसके बाद शव को पेड़ पर लटका दिया घटना बीती रात करीब साढ़े 12 बजे की बताई जा रही है। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर विवेचना में लिया। मृतक दरियाव कुमेटी गांव का बैगा था, और झाड़-फूंक का काम करता था, जिससे अंदेशा यह जताया जा रहा है कि जादू-टोने के शक में बुजुर्ग की हत्या की गई होगी। कांकेर एसडीओपी अनुराग झा ने बताया कि मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार घोटिया गांव का रहने वाला बुजुर्ग दरियाव कुमेटी उम्र 70 वर्ष अपनी पत्नी महंती और मां के साथ खेत के नजदीक बने कच्चे मकान में सोया हुआ था। तभी रात करीब साढ़े 12 बजे 04 अज्ञात नकाबपोश उनके घर पहुंचे और बुजुर्ग को बाहर बुलाया, बुजुर्ग के बाहर आते ही उन्होंने उसकी पत्नी को घर के अंदर ही बंद कर दिया और बुजुर्ग को खींचते हुए अपने साथ ले गए। बुजुर्ग की पत्नी आवाज लगाती रही, लेकिन सुनने में असमर्थ उसकी सास को घटना के बारे में पता ही नहीं चल सका। सुबह जब सास सोकर उठी, तो उसने दरवाजा खोला, तब जाकर बुजुर्ग दरियाव की पत्नी ने अपने पुत्र को खबर भेजी। बुजुर्ग दरियाव का शव घर से कुछ दूरी पर खेत में एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। मृतक के पुत्र ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस विवेचना कर रही है।

पेट्रोल भरवा रहे युवक की बेरहमी से हत्या : 24 घंटे के अंदर दुर्ग पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

❐ **मारपीट के बाद सडक़ पर दौड़ाया फिर मार दिया चाकू, दोस्तों के साथ गया था ढाबा**

भिलाई (आरएनएस)। पंप में पेट्रोल भराने पहुंचे युवक पर चाकू से हमला कर अज्ञात युवक मौके से फरार हो गए। तीन दिन बाद अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 307, 302, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया है। पुलिस ने 24 घंटे केर अंदर हत्या में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रभात कुमार ने बताया कि हत्या में शामिल 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकि अपराधियों की खोज जारी है। अरेस्ट किए गए आरोपियों में बिट्टू, रजत, सुनील उफर् अंडा, युगल शामिल है।

कुम्हारी पुलिस ने बताया कि देवबलौदा निवासी प्रवीण कुमार यादव 21 वर्ष अपने दोस्त विनय कुमार, मोहन यादव, खिलेश सिंह 1 जनवरी की रात घर से कुम्हारी स्थित दशमेश ढाबा एक्टिवा में खाना खाने निकले थे। खाना खाने के बाद एक्टिवा में पेट्रोल खत्म होने पर ढाबा के सामने स्थित आनंद पेट्रोल पंप पहुंचे। जहां पर रात 12 बजे तीन बाइक, स्कूटी सवार चार युवक भी पंप पहुचे थे। युवकों ने खिलेश के साथ गाली गलौज

करना शुरु कर दिया। जिसका विरोध करने पर आरोपी युवकों ने खिलेश, मोहन, विनय के साथ मारपीट करने लगे।

एक युवक मारपीट भी करने लगा। आरोपियों में एक पतला लंबा गोरा बड़े बाल वाला युवक चाकू निकालकर सडक़ पर दौड़ाते रहा। पीडित युवक अपनी जान बचाकर भागते रहे। तभी कम हाईट पीला शर्ट ब्लू जींस पहना युवक व उसके साथियों ने प्रवीण यादव को जान से मारने की धमकी देकर पेट में चाकू से वार कर दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक अपने वाहनों से फरार हो गए।

खून से सने प्रवीण को पुलिस ने यादव मेकाहारा अस्पताल रायपुर में उपचार के लिए दाखिल कराया गया। जहां उपचार के बाद गुरुवार को दम तोड़ दिया। कुम्हारी टीआई सुधांशु बघेल ने बताया कि युवक खाना खाने ढाबा पहुंचे थे। उसके बाद पेट्रोल पंप पहुंचे थे। मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

घरेलू बात को लेकर भाई का सिर फोड़ा

कोरबा (आरएनएस)। मानिकपुर चौकी पुलिस ने मारपीट के एक मामले में पीडित की रिपोर्ट पर दो आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोप है कि संबंधितों के द्वारा घरेलु बात को लेकर सगे भाई से मारपीट की गई और उसका सिर फोड़ दिया गया।

जानकारी के अनुसार मुड़ापार वार्ड नंबर 26 के अंतर्गत यह घटना हुई है, जहां अजय सोनवानी का सिर फोडऩे का काम किसी और ने नहीं बल्कि उसके दो सगे भाईयों ने किया। पुलिस ने बताया कि घरेलु बात को लेकर इन लोगों में कहा सुनी हुई। अजय ने अपना तर्क रखा तो उसपर दबाव बनाने के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई। पत्थर से उसे चोट पहुंचाई गई। घटना में अजय के सिर में जख्म आये हैं। चोट का मुलाहिजा कराने के साथ एमएलसी रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध कायम किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक दिन पहले ही चौकी क्षेत्र के शहीद भगत सिंह एसईसीएल कालोनी और दादर खुर्द क्षेत्र में मारपीट के दो मामले प्रकाश में आये थे। इनमें दो लोगों को आरोपियों के द्वारा घायल कर दिया गया। पीडित पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने जुर्म दर्ज किया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि किसी भी तरह के अपराधिक मामलों में तुरंत संज्ञान लेने के साथ अपराधिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

महिला का अवैध संबंध, मोहब्बत का जाल बिछाकर की पति की हत्या

महासमुंद (आरएनएस)। जिले के सिरपुर के ग्राम अमलोर के जंगल में 4 माह पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. हत्या का मास्टर मांइड कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ही निकली. पुलिस ने इस पूरे मामले मे शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 302, 120बी, 201, 34 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। मृतक रविशंकर 7 सितंबर को घर से रायपुर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन घर वापस नहीं पहुंचा. मृतक की पत्नी विद्या कमलवंशी ने सिरपुर चौकी में जाकर अपने पति के गुम होने की सूचना देकर खोजने चली गई. विद्या को झरना जंगल मे एक स्कूटी मिली और वहीं पास में उसके पति की लाश मिली. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस को शक था कि, कहीं पत्नी ही हत्यारी न हो, क्योंकि पत्नी ने ही अपने पति की लाश खोजकर पुलिस को बताई थी. पुलिस ने मृतक की पत्नी से कड़ाई से पूछताछ किया तो सारी कहानी सामने आ गई. विद्या का अपनी पति से अनबन चल रहा था और पत्नी विद्या का अवैध संबंध विक्रम से हो गया था. दोनों ने मिलकर मृतक रवि को हटाने के लिए एक प्लान बनाया. प्लान के अनुसार परमेश्वरी ने मृतक को अपने प्रेम जाल में फंसाया. फिर सिरपुर के अमलोर जंगल लाया. जहां चारो आरोपी विद्या, विक्रम, परमेश्वरी और भास्कर ने मिलकर डड़े से मारकर रवि की हत्या कर दी. पुलिस इस पूरे मामले मे आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

बलगी वर्कशॉप में हथियारबंद बदमाश घुसे : कर्मियों पर किया हमला

❐ **एक कर्मचारी अपोलो रेफर**

कोरबा (आरएनएस)। एसईसीएल के बलगी वर्कशॉप में गुरुवार की देर शाम करीब 06-15 बजे कपाटमुड़ा गांव की तरफ से दीवार फांदकर 15-20 लोग पहुंचे, जिनके हाथ में हथियार, डंडा व गुलेल था। जिन्हें वर्कशॉप में पदस्थ सुरक्षा प्रहरी रोहित कुमार ने रोकने की कोशिश की। तब उन्होंने गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देते हुए रोहित कुमार पर हमला कर दिया।

इस दौरान वर्कशॉप में मौजूद कर्मी हरिनाम सिंह कंवर, मोहन नवल, केशव कुंजराम, गणपत राम पर भी उन्होंने हमला किया। जिससे रोहित कुमार के चेहरा, पीठए व सिर में चोट लगी। वहीं हरिनाम सिंह के दाहिने आंख में गंभीर चोट पहुंची। कर्मचारी घायल हो गए तो बदमाश वहां से स्क्रैप चुराकर ले गए। मामले में घायल सुरक्षा कर्मी रोहित कुमार ने बांकीमोंगरा थाना में लिखित शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

बदमाश वर्कशॉप में स्क्रैप व उपकरण चोरी करने पहुंचे थे। जिन्हें रोकने पर उन्होंने पहले कर्मचारियों पर पथराव किया। इसके बाद सामने आकर हमला किया। गुलेल से भी पत्थर मारा। इस दौरान एक पत्थर कर्मचारी हरिराम सिंह कंवर के दाहिने आंख में लगी। जिसे गंभीर चोट पहुंची है। बांकीमोंगरा अस्पताल से हरिराम सिंह को अपोलो रेफर किया गया है। अन्य कर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। क्षेत्र के श्रमिक संघ ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बांकीमोंगरा थाना प्रभारी निरीक्षक चमनलाल सिन्हा के मुताबिक बलगी वर्कशॉप में गुरुवार की शाम घुसे बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मियों पर हमला किया। घटना में 3 कर्मी घायल हुए हैं। मामले में अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच-पड़ताल की जा रही है।

नीली क्रांति का उद्देश्य मछुआरों एवं मतस्य कृषकों की आय को दुगुना करना है - सीताराम बाथम

❐ **केंद्रीय मतस्य बोर्ड के संचालक बाथम पहुंचे जिलाध्यक्ष शशि पवार के निवास**

धमतरी (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री एवं केंद्रीय मतस्य बोर्ड के संचालक सीताराम बाथम अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान शनिवार सुबह धमतरी पहुंचे। बाथम भाजपा जिलाध्यक्ष एवं मतस्य कृषक ठाकुर शशि पवार के संबलपुर स्थित फिश फार्म का दौरा किया तत्पश्चात पवार के निवास पर कार्यकर्ताओं से सौजन्य मुलाकात की। बाथम ने बताया कि मोदी सरकार का नीली क्रांति मिशन मछुआरों तथा मतस्य कृषकों की आय को दुगुनी करने तथा इस व्यवसाय से जुड़े गरीब कृषकों को तरक्की का अवसर दिलाने एवं उन्हे प्रोत्साहन देने की अभिनव योजना है। इस व्यवसाय मे असीम संभावनाएं है तथा छत्तीसगढ़ को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले इसके लिये सरकार प्रयासरत है। बाथम यहाँ से बस्तर जाकर वहाँ के

मतस्य कृषकों की समस्याओं से भी अवगत होंगे ताकि और बेहतर कार्य किया जा सके। छग के मछुआरा प्रकोष्ठ के संयोजक नेहरू निषाद, सह संयोजक डॉ लखन धींवर भी उनके साथ प्रदेश के प्रवास पर हैं। बाथम से सौजन्य भेंट करने भाजपा जिला महामंत्री कविन्द्र जैन, जिला उपाध्यक्ष अरविंदर मुंडी, आनंद मेश्राम एवं शंकर लाल नेताम भी ग्राम संबलपुर पहुंचे।

नक्सलियों ने चार पेटी ठेकेदारों के अपहरण को झूठा प्रचार बताया

❐ **नक्सलियों द्वारा अपहरण को नकारे जाने व पुलिस के चुप्पी से अपहरण रहस्यमय हुआ**

❐ **सोनी सोरी, पेटी ठेकेदार के परिजनों के नक्सली अपहरण के बयान के विडियो-फोटो मौजूद**

❐ **अपहित-लापता 04 पेटी ठेकेदार अंदरूनी क्षेत्रों में 11 दिनों तक यह कहां थे किस के साथ थे**

बीजापुर (आरएनएस)। नक्सलियों के पश्चिम डिविजन कमेटी ने सचिव मोहन ने पर्चा जारी कर कहा कि ने जिले के गंगालूर इलाके से हमने किसी ठेकेदार का अपहरण नहीं किया है, यह पुलिस व गोदी मीडिया का झूठा प्रचार है। जारी पर्चा में लिखा है कि बघेल सरकार, गोदी मीडिया माओवादी पार्टी के ऊपर अलग-अलग झूठे आरोप लगा रहे हैं। झूठे प्रचार करने में माहिर आईजीपी कई बार विफल हुए हैं, बौखलाहट में आकर जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।

जारी पर्चे में आगे लिखा है कि 24 दिसंबर को कोंडागांव से बीजापुर तरफ आ रहे रोड ठेकेदारों का गंगालूर में नक्सलियों ने अपहरण का झूठा आरोप लगाया है। हमारे पीएलजीए बलों द्वारा किसी का अपहरण नहीं किया गया है। पुलिस ने इस तरह के प्रचार की आड़ में जनवादी तरीके से अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे जनता पर, गांवों पर, हमारी पीएलजीए पर बहुत बड़ा आक्रामक हमला करने की साजिश है।

उल्लेखनिय है कि 24 दिसंबर को 04 पेटी ठेकेदार लौंडीगुड़ा निवासी टेंमरु नाग, बारसूर निवासी चापड़ी बतेया, कोंडागांव निवासी निमेंद्र कुमार दीवान, नीलचंद्र नाग के अपहरण की खबर मिली थी, अपहित 04 लोग नक्सलियों के कब्जे में होने की बात उनके परिजनों ने मीडिया को दी थी। इस बात की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी एवं पेटी ठेकेदार के परिवार ने देते हुए उनकी मदद के लिए अपील की थी। इसके दूसरे दिन अपहित 04 पेटी ठेकेदार में से दो पेटी ठेकेदारों को छोड़ दिये जाने की खबर मिली। इसके बाद सभी 04 पेटी ठेकेदार लौंडीगुड़ा निवासी टेंमरु नाग, बारसूर निवासी चापड़ी बतेया, कोंडागांव निवासी निमेंद्र कुमार दीवान, नीलचंद्र नाग को छोड़ देने की खबर मिली। चारों अपहित वापस आए और रातों-रात बगैर मीडिया से मिले किसी तरह की सूचना दिए भाग गए। इस अपहरण मामले में अब तक यह ज्ञात नही हुआ कि अपहित-लापता 04 पेटी ठेकेदार बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्रों में 11 दिनों तक यह कहां थे किस के साथ थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अपहरण की कोई जानकारी नही होने तथा परिजनों के द्वारा कोई सूचना नही देने की बात पहले दिन से कहती रही। पुलिस भी इस मामले में इससे आगे कोई जानकारी नही दी और चुप्पी बनाये हुए है। जब कि 24 दिसंबर को 04 पेटी ठेकेदार लौंडीगुड़ा निवासी टेंमरु नाग, बारसूर निवासी चापड़ी बतेया, कोंडागांव निवासी निमेंद्र कुमार दीवान, नीलचंद्र नाग के नक्सलियों के कब्जे में होने की बात उनके परिजनों ने मीडिया को दी थी। इस बात की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी एवं पेटी ठेकेदार के परिवार ने देते हुए मदद के लिए अपील की थी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी साकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संरक्षणों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मूलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विशेष कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समस्त उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU